

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

कैलाश चन्द्र शर्मा  
आर.ए.एस.  
तारीख निर्णय  
15.03.2019

मिसल नम्बर  
42/2017/प्रा.पत्र/2017

तारीख दायरा  
26.08.2017

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1-श्री गोपाल लाल गर्ग पुत्र रतन लाल एफ.बी.ओ. मैसर्स रतनलाल गोपाल लाल मेन मार्केट पीपलू जिला टोंक राज0 निवासी मेन मार्केट पीपलू राज0

2- मैसर्स रतनलाल गोपाल लाल मेन मार्केट पीपलू जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

उपस्थित-

1-प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2-अप्रार्थी उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 15.03.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.01.2017 को समय प्रातः 11.35 पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स रतनलाल गोपाल लाल मेन मार्केट पीपलू जिला टोंक राज0पर पहुंचा। एफ.बी.ओ.गोपाल लाल गर्ग एफ.बी.ओ मैसर्स रतनलाल गोपाल लाल मेन मार्केट पीपलू जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में घी श्री कृष्णा ट्रेड मार्क मूल पैक (Ghee Shree Krishna Trade Mark Original pack) रखी हुई थी, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री गोपाल लाल गर्ग को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गोपाल लाल गर्ग एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में घी श्री कृष्णा ट्रेड मार्क मूल पैक (Ghee Shree Krishna Trade Mark Original pack) रखे हुये 15 नगो मे से 898-898 ग्राम के 4 नग ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड मूल पैक का चयन किया। वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये 898-898 ग्राम के 4 नग को वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री गोपाल लाल गर्ग को रू0 1480/-अक्षरे एक हजार चार सो अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा घी श्री कृष्णा ट्रेड मार्क मूल पैक (Ghee Shree Krishna Trade Mark Original pack) 4 नग को अलग-अलग ज्यो का त्यो तैयार कर चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को अलग-अलग साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-1514 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक



चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-1514 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. गोपाल लाल गर्ग के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/710 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/25/एक्ट/2017/25 दिनांक 09.02.2017 एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 06.06.2017 अनुसार गोपाल लाल गर्ग से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया घी श्री कृष्णा ट्रेड मार्क मूल पैक(Ghee Shree Krishna Trade Mark Original pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 2(i) & (ii) तथा 3 (1)(zx) & 3(1) (zf) (C) (iii) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) व अवमानक (Sub-Standard) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का घी श्री कृष्णा ट्रेड मार्क मूल पैक (Ghee Shree Krishna Trade Mark Original pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस घी श्री कृष्णा ट्रेड मार्क मूल पैक (Ghee Shree Krishna Trade Mark Original pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी श्री कृष्णा ट्रेड मार्क मूल पैक (Ghee Shree Krishna Trade Mark Original pack) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 अप्रार्थी श्री गोपाल लाल गर्ग पुत्र रतन लाल एफ.बी.ओ. मैसर्स रतनलाल गोपाल लाल मेन मार्केट पीपलू जिला टोंक राज0 निवासी मेन मार्केट पीपलू राज0पर शास्ती 21,000/- (अक्षरे इक्कीस हजार रु0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.03.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)  
न्याय अतिरिक्त अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0